बिना नम्बर प्लेट के टूर वाहन में 16 पेटी शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त को रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया गिरफ्तार प्रचलित यात्रा की आड़ में इस शराब की ब्रिकी कर कम समय में ही अधिक मुनाफा कमाने की फिराक में था अभियुक्त, परन्तु पुलिस के आगे एक न चल पायी

जनपद रुद्रप्रयाग में प्रचलित श्री केदारनाथ यात्रा के दृष्टिगत अवैध शराब की तस्करी, परिवहन, विक्रय करने वालों के विरुद्ध जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस की धर-पकड़ निरन्तर जारी है। यात्रा व्यवस्थाओं के सकुशल संचालन के साथ ही जनपद पुलिस के स्तर से प्रभावी चेकिंग व मुखबिर तन्त्र विकसित करते हुए यात्रा की आड़ में शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के दौरान कोतवाली सोनप्रयाग पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना एवं चेकिंग के दौरान कोतवाली सोनप्रयाग के स्तर से एक व्यक्ति को बिना नम्बर के टूर वाहन में कुल 16 पेटी शराब की बरामदगी की गयी है। सबसे बड़ी बात कि पकड़ी गयी शराब की पेटियां अद्दे (हाफ) एवं क्वार्टर (पव्वे) के रूप में मिली हैं, ताकि बिना किसी झंझट के यात्रा मार्ग पर ऊँचे दामों में बेचा जा सके। गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध कोतवाली सोनप्रयाग पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शराब परिवहन में प्रयुक्त बिना नम्बर के टूर वाहन को सीज किया गया है।

अभियुक्त का विवरण - विजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद निवासी ग्राम त्रियुगीनारायण, कोतवाली सोनप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग।

पुलिस टीम का विवरण

1. उप निरीक्षक प्रदीप चौहान
2. मुख्य आरक्षी गोविन्द्र सिंह
3. मुख्य आरक्षी अतुल लिंगवाल
4. आरक्षी सन्दीप झिंक्वाण
5. रिक्रूट आरक्षी आशीष, समस्त कोतवाली सोनप्रयाग

रुद्रप्रयाग पुलिस के स्तर से प्रचलित यात्राकाल में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अब तक कुल 29 मुकदमे दर्ज किये गये हैं, जिनमें 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी मामलों में करीबन ₹ 5.10 लाख मूल्य की 837 बोतल, 72 केन बियर व 5 लीटर कच्ची शराब की बरामदगी हुई है।

जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस की शराब तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर जारी है।